

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-639/11
संस्थित दिनांक-29.12.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. सोमसिंह पुत्र तुलाराम लोधी उम्र 27 साल
निवासी ग्राम देवल खों

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 29.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 338 एव मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 19.12.2011 को समय रात्रि 07:30 बजे स्वराज्य टैक्टर नीले रंग का एम0पी0 67 ए0 0176 को बिना डाइविंग लाईसेंस एवं बीमा के तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुये उसमें बैठी फरियादी रमको बाई को गिराकर उसकी अस्थि भंग कर गंभीर उपहति कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया रमको बाई ग्राम मगरौनी से मायके जा रही थी कि बामोर में टैक्टर टॉली रेत भरा रमको बाई को मिला, रमको बाई उसमें टॉली में बैठ गई, ड्राइवर ने कहा था कि मोहनरोड पर छोड़ देंगे, तो चालक ने टैक्टर क्रमांक एम0पी0 67 ए 0176 को तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे रमको बाई गोधन व छवली नदी के बीच में रोड पर गिर गई, टॉली का पहिला रमको बाई की दाहिनी पैर की जांघ पर चढ़ गया, जिससे जांघ व कमर में चोट आई और खून निकल आया, रमको बाई के चिल्लाने पर मलखान, भगवान सिंह आये, और घटना देखी, फरियादियां रमको बाई के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 476/11 अंतर्गत धारा— 279, 337 भा0द0वि0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया।

03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.12.2011 को समय रात्रि 07:30 बजे स्वराज्य टैक्टर नीले रंग का एम0पी0 67 ए0 0176 को तेजी व लापरवाही पूर्वक सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त टैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुये उसमें बैठी फरियादी रमको बाई को गिराकर उसकी अस्थि भंग कर गंभीर उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक एम0पी0 67 ए0 0176 को लोक मार्ग पर बिना डाइविंग लाईसेंस के चलाया ?
4.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टैक्टर एम0पी0 67 ए0 0176 को बिना बीमा के लोक मार्ग पर चलाया ?
5.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05— फरियादियां रमको बाई (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दो-तीन साल पहले वह ग्राम पिपरा में अपने मायके मोहनपुर जा रही थी, तो उसे रास्ते अभियुक्त सोमसिंह ने टैक्टर में बैठा लिया था तथा उक्त टैक्टर

में रेत भरी हुई थी, इस साक्षी का यह भी कहना है कि जिस टैक्टर में अभियुक्त ने बैठाया था, वह नीले रंग का टैक्टर था, जिसका नंबर व कंपनी का नाम उसे याद नहीं है। फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि वह आरोपी के टैक्टर में ग्राम बामोर से बैठी थी तथा घटना के समय आरोपी ही टैक्टर को चला रहा था।

06- घटना दिनांक 19.12.11 को शाम के समय फरियादिया रमको बाई अभियुक्त के टैक्टर में बैठ कर अपने मायके मोहनपुर आ रही थी, इस संबंध में फरियादी रमको बाई (अ0सा0-01) के मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं तथा बचाव पक्ष के द्वारा इस बात को कोई चुनौती नहीं दी गई कि घटना दिनांक को अभियुक्त टैक्टर से रेत भरकर आ रहा था तथा उसने रमको बाई को अपने टैक्टर में बैठाया था। बल्कि इसके विपरीत रमको बाई (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा स्वयं ही यह सुझाव फरियादिया चलते टैक्टर से स्वयं ही उतर गई थी तथा उसने आरोपी से टैक्टर रोकने ने कहा था, किंतु आरोपी ने टैक्टर नहीं रोका था और वह स्वयं टैक्टर से प्रतिक्षालय के पास कूद गई थी।

07- फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) ने सुझाव के माध्यम से बचाव पक्ष के द्वारा ली गई उपरोक्त प्रतिरक्षा का हालांकि स्पष्ट खण्डन किया है, परन्तु रमको बाई (अ0सा0-01) की इस संबंध में दी गई अखण्डित साक्ष्य की घटना दिनांक को शाम के समय वह अभियुक्त के टैक्टर में बैठ कर अपने मायके मोहनपुर के लिये बामोर से बैठी थी एवं बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में सुझाव में माध्यम से ली गई उपरोक्त प्रतिरक्षा यह प्रमाणित करती है कि घटना दिनांक 19.12.2011 को शाम करीबन 07-07:30 बजे फरियादिया अभियुक्त के साथ उसके टैक्टर में बैठ कर मोहनपुर के लिये निकली थीं।

08- रमको बाई (अ0सा0-01) ने अपने कथनों में यह तो स्पष्ट किया है कि टैक्टर आरोपी सोम सिंह चला रहा था, परन्तु टैक्टर का क्रमांक क्या था, यह इस साक्षी ने याद न होना बताया है,। अभियोजन की ओर से प्रकरण में टैक्टर के पंजीकृत स्वामी राजेंद्र सिंह (अ0सा0-08) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं जिसमें अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर उसका है, जो 02-03 साल पहले चंदेरी थाने में पकड़ा गया था, जिसे उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था। इस साक्षी ने हालांकि इस संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है कि घटना दिनांक को उक्त जप्तशुदा टैक्टर को लेकर

रेत भरने गया था, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है उसका टैक्टर अभियुक्त ही चलाता है।

- 09— अतः फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि अभियुक्त टैक्टर को चला रहा था, टैक्टर के पंजीकृत स्वामी राजेंद्र सिंह (अ0सा0-08) के द्वारा इस बात पुष्टि करना कि उसका टैक्टर जो प्रकरण में जप्त किया गया था अभियुक्त चला रहा था तथा उस टैक्टर को उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था, यह प्रमाणित करता है कि जिस टैक्टर को लेकर अभियुक्त टॉली में रेत भरकर ला रहा था, जिस पर फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) मोहनपुर जाने के लिये बैठी थी, उक्त टैक्टर प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर एम.पी. 67 ए. 0176 ही था।
- 10— रमको बाई (अ0सा0-01) का कहना है कि टैक्टर तेज गति से चल रहा था, परन्तु उसकी गति कितनी थी, यह इस साक्षी के कथनों से स्पष्ट नहीं होता है। वाहन का तेज गति में चलना अपने आप में उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन चलाने का प्रमाण नहीं होता है। किसी वाहन की गति कितनी तेज या कितनी धीरे है, इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति अलग-अलग हो सकती है। अतः कथन मात्र की टैक्टर तेज गति से चल रहा था, अपने आप में अभियुक्त का कृत्य उपेक्षा व उतावलेपन से टैक्टर चलाने के कृत्य की श्रेणी में आकर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
- 11— अभियोजन की ओर से प्रकरण में भगवान सिंह (अ0सा0-02) मलखान सिंह (अ0सा0-03), निरभा (अ0सा0-05) के कथन न्यायालय में कराये गये, परन्तु यह तीनों ही साक्षी अभियोजन घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी हैं। जिनके कथन फरियादिया के द्वारा बताई गई घटना के अनुसार भगवान सिंह (अ0सा0-02) स्वयं ही यह कहता है कि उसने अभियुक्त को टैक्टर चलाते हुये नहीं देखा न ही उसे अभियुक्त मौके पर मिला था तथा मलखान सिंह (अ0सा0-03) का भी कहना है कि उसने अभियुक्त को टैक्टर चलाते हुये नहीं देखा। निरभा (अ0सा0-05) जो कि फरियादिया का भाई है, का भी यही कहना है कि उसने घटना नहीं देखी, न उसने डाइवर को देखा था, और न ही बता सकता है कि टैक्टर कैसे चल रहा था।
- 12— अतः अभियुक्त टैक्टर को किस प्रकार चला रहा था, इस आशय की फरियादिया के अलावा अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वही

फरियादिया के कथन भी इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त टैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था।

- 13- रमको बाई (अ0सा0-01) अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त के टैक्टर से तेजी से चलाने के कारण या लापरवाही से घटना में उसे गंभीर उपहति कारित हुई थी, बल्कि अभियोजन घटना के विपरीत फरियादिया का कहना है कि जब उसने आरोपी को गलत काम नहीं करने दिया तो अभियुक्त ने गोधन पर हाथ पकड़ कर मंदिर के पास फेंक दिया था और टैक्टर लेकर भाग गया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में भी यह कहना है कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश गोधन में की थी, तथा उसे टैक्टर से अभियुक्त के साथ बैठे कल्लू ने फेंका था।
- 14- फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 में उल्लेखित घटना के विपरीत है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को दिये गये कथनों में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादिया के साथ टैक्टर में गलत काम करने की कोशिश की थी, जिसे न कर पाने के कारण उसने फरियादिया को टैक्टर से फेंक दिया था। यदि घटना पर विचार किया जावे, तो उक्त कृत्य ही उपेक्षा व उतावलेपन के कृत्य की श्रेणी में आकर सआशय किया गया कृत्य है।
- 15- फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) के कथनों में इस संबंध में गम्भीर तात्त्विक विरोधाभास है कि वास्तव में उसे घटना में आई उपहति अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपन से टैक्टर चलाने के कारण आई थी। फरियादिया को अभियुक्त के द्वारा उसे हाथ पकड़ कर टैक्टर से फेंकना बताती है। वहीं दूसरी ओर वह प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के साथ बैठे कल्लू के द्वारा हाथ पकड़कर उसे टैक्टर से फेंकना बताती है, जबकि ऐसी कोई घटना का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 में नहीं है। फरियादिया का स्वयं ही यह कहना है कि रिपोर्ट न तो उसने दर्ज कराई और न ही उसने पुलिस को कोई टैक्टर का नंबर बताया था, क्योंकि वह पढी लिखी नहीं है। अतः यदि फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट ही लेखबद्ध नहीं कराई और टैक्टर का नंबर लेख नहीं कराया गया तो प्र.पी.-01 की रिपोर्ट में टैक्टर का क्रमांक एवं उल्लेखित घटना फरियादिया के न्यायालीन कथनों से भिन्न होने से संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहस्पद प्रतीत होती है।

- 16— निश्चित रूप से घटना दिनांक को फरियादिया का अभियुक्त के साथ टैक्टर में बैठ कर मोहनपुर के लिये बैठना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है तथा घटना दिनांक को ही डॉक्टर एम. एल. खरका (अ0सा0-07) ने फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किये गये जाने की पुष्टि की है जिसमें फरियादिया के दाईं जांघ में फटा हुआ, घाव एवं दहिने पैर में नीलगू निशान दाहिनी भुजा में व टोढी पर छिलाव की चोट पाये जाने की पुष्टि की है तथा पैर की चोटों के लिये एक्स रे हेतु रेफर किये जाने की भी पुष्टि की है। डॉक्टर एम. एल. खरका (अ0सा0-07) के कथनों की पुष्टि तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.-07 से होती है तथा उसके पश्चात् डॉक्टर छारी (अ0सा0-09) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 20.11.2012 को जब फरियादी के पैरों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, तो उन्होंने फरियादी के दाये लायर लिंब व फीमर हड्डी के शेफ्ट में नीचले हिस्से में अस्थि भंग होना पाया था, जिसका उल्लेख इस साक्षी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.-10 में भी है।
- 17— अतः अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को जिस अवधि में फरियादिया अभियुक्त के साथ टैक्टर में बैठी थी, उसी अवधि के आसपास जब उसकी चिकित्सीय परीक्षण किया तो चिकित्सीय परीक्षण में उसके पैरों में गंभीर उपहति पाई गई। पैर की फीमर हड्डी अस्थि भंग होना निश्चित रूप से यह दर्शित करता है कि तेज प्रहार से उक्त उपहति कारित हुई, परन्तु उक्त उपहति किस प्रकार कारित हुई इस आशय की फरियादियां के अलावा अभिलेख पर अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 18— फरियादिया रमको बाई (अ0सा0-01) घटना की एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर घटना में आहत भी हैं, परन्तु घटना में उसे चोट उसे किस कारण से आई थी, इस संबंध में इस साक्षी के कथनों में गम्भीर विरोधाभास की स्थिति है तथा इस साक्षी के न्यायालय में दिये गये कथन कि उसे घटना में किस प्रकार चोट आई थी, कहीं से भी अभियोजन घटना से मेल नहीं खाती है इस साक्षी के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने टैक्टर में उसे बैठाया था और मोहनपुर के लिये लेकर आया था, परन्तु अभियुक्त टैक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था तथा उक्त कृत्य के कारण उसे घटना में उसे चोट आई इस संबंध में साक्षी की साक्ष्य अभियोजन घटना के विपरीत होने से लेषमात्र विश्वसनीय नहीं है तथा फरियादियां का यह कहना उसने घटना की रिपोर्ट न करके पिता ने उसके रिपोर्ट की थी, पूरी अभियोजन कहानी को संदेह

के घेरे में ले जाता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा।

- 19— अभियोजन अभिलेख पर साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक-19.11.12 को रात्रि 07:30 बजे अभियुक्त ने स्वराज टैक्टर नीले रंग एम.पी. 67 ए. 0176 को लोक मार्ग पर चलाया था, परन्तु अभियुक्त ने उक्त टैक्टर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया एवं उक्त कृत्य से रमको बाई को गंभीर उपहति कारित की यह संदेह से परे अभियोजन प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है।
- 20— जहां तक यह प्रश्न है कि अभियुक्त के पास टैक्टर चलाने का घटना के समय डाईविंग लाईसेंस एवं वाहन का बीमा था, यह साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त का था, चूंकि उक्त दिनांक को अभियुक्त के द्वारा लोक मार्ग पर उपरोक्त टैक्टर चलाना प्रमाणित है, टैक्टर चलाने का डाईविंग लाईसेंस घटना दिनांक को अभियुक्त के पास था तथा टैक्टर बीमित था, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत न करने से यह प्रमाणित अवश्य होता है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने लोक मार्ग पर स्वराज टैक्टर नीले रंग एम.पी. 67 ए. 0176 को बिना बीमा व डाईविंग लाईसेंस धारित किये चलाया था।
- 21— फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त सोम सिंह पुत्र तुलाराम लोधी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 338 के आरोप प्रमाणित न होने से भा.द.वि. की धारा 279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता हैं। अभियुक्त के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित होने से उसे मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 22— अतः अभियुक्त सोमसिंह पुत्र तुलाराम को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध कर दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति, परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।
- 23— अभियुक्त सोम सिंह पुत्र तुलाराम को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के

अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 300/- (तीन सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 700/- (सात सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

- 24- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)